



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 142-2026/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026 (BHADRA 25, 1948 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 सितम्बर, 2026

संख्या 33465— चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न नक्शों में दर्शाया गया क्षेत्र निर्माण क्रियाकलापों के लिए संभाव्य है;

इसलिए, अब हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 7क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए उक्त क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:—

अनुसूची

सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0(एस)/1729/26, दिनांक 03 जून, 2026 के साथ पढ़ा जाएगा।

उत्तर:— बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ होकर, जो जिला सोनीपत के गाँव सिसाना (हदबस्त संख्या 26R), गाँव सिलाना (हदबस्त संख्या 5R) तथा जिला रोहतक के गाँव बखेता (हदबस्त संख्या 51) की राजस्व सीमाओं का मिलन बिन्दु है, पूर्व दिशा की ओर गाँव सिसाना (हदबस्त संख्या 26R), गाँव सेहरी (हदबस्त संख्या 7R), गाँव खांडा (हदबस्त संख्या 9R), गाँव झरौटी (हदबस्त संख्या 217) तथा गाँव रोहट (हदबस्त संख्या 215) की उत्तरी राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक, जहाँ यह हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7क के अंतर्गत अधिसूचना संख्या DTCP-STP(E)-2009/341 दिनांक 05 फरवरी, 2009 द्वारा अधिसूचित सोनीपत शहरी क्षेत्र की सीमा से मिलती है।

पूर्व:— तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से दक्षिण की ओर हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7क के अंतर्गत अधिसूचना संख्या DTCP-STP(E)-2009/341 दिनांक 05 फरवरी, 2009 द्वारा अधिसूचित सोनीपत शहरी क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक, जहाँ यह दिल्ली राज्य की सीमा से मिलती है।

दक्षिण:— बिन्दु 'सी' से पश्चिम दिशा की ओर दिल्ली राज्य की सीमा तथा जिला झज्जर की सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक, जहाँ यह जिला रोहतक की सीमा से मिलती है।

पश्चिमी:— बिन्दु 'डी' से उत्तर दिशा की ओर जिला रोहतक की सीमा के साथ-साथ चलते हुए बिन्दु 'ए' तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है।

अनुराग अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT****Notification**

The 16th September, 2026

No. 33465.— Whereas, in the opinion of the Governor of Haryana, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto has the potential for building activities.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 7A of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be an Urban Area for the purpose of the said section, namely:-

Schedule

The Schedule of boundaries shall be read with Drawing No. DTP(S) 1729/26, dated the 3rd June, 2026.

- North:** Starting from point 'A', which is the meeting point of revenue boundaries of village Sisana (H.B. No. 26R), village Silana (H.B. No. 5R) of District Sonipat and village Bakheta (H.B. No. 51) of District Rohtak, towards east along the northern revenue boundary of village Sisana (H.B. No. 26R), village Sehri (H.B. No. 7R), village Khanda (H.B. No. 9R), village Jharauti (H.B. No. 217), village Rohat (H.B. No. 215) upto point 'B', where it meets the boundary of urban area Sonipat, notified vide notification no. DTCP-STP (E)-2009/341 dated 5th February, 2009 under section 7A of Act 8 of 1975.
- East:** Thence, moving from point 'B' towards south along the boundary of urban area Sonipat, notified vide notification no. DTCP-STP (E)-2009/341 dated 5th February, 2009 under section 7A of Act 8 of 1975 upto point 'C', where it meets the Delhi State boundary.
- South:** Thence, moving from point 'C' towards west along the Delhi State boundary and boundary of District Jhajjar upto point 'D', where it meets the boundary of District Rohtak.
- West:** Thence, moving from point 'D' towards north along the boundary of District Rohtak upto point 'A' i.e. point of start.

ANURAG AGARWAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

